आदेश पत्र

# अंचल अधिकारीका कार्यालय, धनबाद

श० सा० मु० सं० 843 III/94-95

6-3-95 आवेदक/आवेदिका श्री अमरी अली पिता स्व० पातु मियाँ

ने नामान्तरण के लिए आवेदन किया है।

आवेदन पत्र अनुसार आवेदक/आवेदिका

मौजा धनबाद थाना नं० 51 खाता नं० 49

प्लाट नं० 106

एकबा 2 (दो) डे

दलिल सं० 1273

तारीख 25-2-97

के द्वारा श्री मुंशी रहमान

से प्राप्त किया है।

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इश्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 24-3-95 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
धनबाद

24-3-95 आम इश्तहार का तामिला बिना किसी आपत्ति के प्राप्त हुआ। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन मूल निरीक्षक के माध्यम से अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन है कि :- (1) प्रार्थी रेवती लाल की ओर से अधिवक्ता [illegible] द्वारा दायर किया गया है (2) आवेदित जमीन खेसरा विवादित है जो विहारी मौजा सं० 510 में स्थित होता है (3) आवेदक आवेदित प्रार्थी के ई० सं० 1273 दि० 25/2/97 द्वारा पत्र क्रय किया आवेदक दखिल नहीं है (4) प्रार्थी [illegible] है (5) विवादित है जो आवेदित जमीन का [illegible] (6) आवेदित भूमि [illegible] है

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदक के नाम आवेदित जमीन का दाखिल-खारिज किया जाता है।

तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें। अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर हल्का कर्मचारी से मांगे।

अंचल अधिकारी
धनबाद

लिखनाया एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी

अभिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

6-6-2021

प्रधान सहायक
जिला अभिलेखागार

नियम 76 एक 1/1972 ई

मेरे द्वारा प्रतिलिपि तैयार किया गया
16.06.21

नाम सोकीमे
16/06/2021
तुलना लिपिक